समयबद्ध

संख्या–एस–2– 7944 / दस–2013–33(132) / 2013

प्रेषक,

हलधर प्रसाद मिश्रा
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन,
लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 06 जनवरी,2014

विषयः–उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम–2011 की धारा–3 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–10 के अशासकीय पत्र संख्या–ई–10–1050 / दस–2013, दिनॉक 30.12.2013 (संलग्नक सहित) की फोटो प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्तॉकित पत्र में उल्लिखित निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए संगत सूचनायें निर्धारित प्रपत्र पर लोक सेवा प्रबन्धन विभाग को उपलब्ध कराये जाने के साथ ही संगत सूचनाओं की प्रति वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–10 एवं वित्त (सेवायें) अनुभाग–2 को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हलधर प्रसाद मिश्रा)
अनु सचिव।

पत्रॉक– 7944(1) / दस–2013,तद्दिनॉक

प्रतिलिपि– विशेष सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–10 को उनके अशासकीय पत्र संख्या–ई–10–1050 / दस–2013, दिनॉक 30.12.2013 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(हलधर प्रसाद मिश्रा)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–10
संख्या–ई–10–1050 /दस–2013
लखनऊ : दिनांक : 30 दिसम्बर, 2013

विशेष सचिव,
वित्त विभाग के समस्त अधिष्ठान अनुभाग एवं
वित्त (सेवायें) अनुभाग–4(अधिष्ठान)

उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम की धारा–3 के अन्तर्गत सम्बन्धित सेवाओं को उक्त अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार अनुपालन किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक माह की 05 तारीख तक प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में लोक सेवा प्रबन्धन विभाग को उपलब्ध कराये जाने विषयक मुख्य सचिव महोदय के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–473/91–2013, दिनांक 05–12–2013 का मयसंलग्नक (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि कृपया उक्त पत्र में की गयी अपेक्षानुसार अपने अधीनस्थ विभाग/अनुभाग से सम्बन्धित प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र पर लोक सेवा प्रबन्धन विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

(डा० सुरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव

अर्धशा0 प0 सं0– 473 /91–2013
लोक सेवा प्रबन्धन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।
लखनऊ: दिनांक 05 दिसम्बर, 2013

प्रिय महोदय,

उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 की धारा–3 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर कतिपय सेवाओं एवं उनके निस्तारण की समयसीमा तथा प्रथम तथा द्वितीय अपील के निस्तारण की समय सीमा को अधिसूचित किये जाने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत समस्त विभागों की 10 सेवायें, 25 विभागों की 113 सेवायें अर्थात कुल 123 सेवाओं को आच्छादित किये जाने से सम्बन्धित अधिसूचना लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग के पत्र संख्या–375/91–2013, लखनऊ दिनांक 27 नवम्बर, 2013 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

2– अतः इस सम्बन्ध में प्रश्नगत अधिसूचना दिनांकः 27 नवम्बर, 2013 की प्रति संलग्न करते हुए मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि कृपया अपने विभागों से सम्बन्धित सेवाओं को उक्त अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार अनुपालन किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक माह की 05 तारीख तक प्रगति रिपोर्ट्स निर्धारित प्रपत्र में लोक सेवा प्रबन्धन विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :–यथोपरि।

भवदीय

(जावेद उस्मानी)

(1) कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अधिसूचना दिनांक 27 नवम्बर, 2013 की प्रति संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(2) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद,उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

(प्रभात कुमार सारंगी)
प्रमुख सचिव।

सचिव (HK)
6.12.13

VS(SK) 1L-10

9-12-2013

1018/SF(HK)/2013

1266/VS(SK)/13
6-10

09-12-13
(डा० सुरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव, वित्त विभाग

उत्तर प्रदेश शासन
लोक सेवा प्रबन्धन अनुभाग
संख्याः 375/91–2013,
लखनऊ दिनांक 27 नवम्बर, 2013

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–3, सन् 2011) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल अधिसूचना संख्या–1884/एक–14–2011–33(100)–2010–टी0सी0–I, दिनांक 19 सितम्बर, 2011 द्वारा यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या–2198/एक–14–2010–33(100)–2010 टी0सी0–III, दिनांक 15 जनवरी, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या–5 की प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से बढ़ा दी जायेगी अर्थात :–

अनुसूची

क्र0 सं0	विभाग	सेवा संख्या	प्रकरण	निस्तारण की समय सीमा		
				आवेदन की तिथि से	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
6	सभी विभागों के लिए	10	(i) पेंशन स्वीकृति पर निर्णय	60 दिवस	30 दिवस	30 दिवस
			(ii) जी.पी.एफ. स्वीकृति पर निर्णय	30 दिवस	15 दिवस	15 दिवस
			(iii) चिकित्सा अवकाश स्वीकृति पर निर्णय	15 दिवस	15 दिवस	15 दिवस
			(iv) चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर निर्णय (तकनीकी एवं अनिवार्यता परीक्षण के बाद)।	60 दिवस	30 दिवस	30 दिवस
			(v) प्रोवीजनल पेंशन स्वीकृति पर निर्णय	30 दिवस	30 दिवस	30 दिवस
			(vi) उपार्जित अवकाश स्वीकृति पर निर्णय	15 दिवस	7 दिवस	7 दिवस

			(iii) अकेजनल बार लाइसेंस निर्गत किये जाने पर निर्णय	7 दिवस	30 दिवस	15 दिवस
			(iv) सेक्रामेन्टल वाइन का लाइसेंस निर्गत किये जाने पर निर्णय	7 दिवस	30 दिवस	15 दिवस
11.	माध्यमिक शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा परिषद)	9	(i) मूल प्रमाण–पत्र जारी करने पर निर्णय	15 दिवस	15 दिवस	15 दिवस
			(ii) डुप्लीकेट प्रमाण– पत्र जारी करने पर निर्णय	30 दिवस	15 दिवस	15 दिवस
			(iii) मूल अंक पत्र जारी करने पर निर्णय	15 दिवस	15 दिवस	15 दिवस
			(iv) डुप्लीकेट अंक पत्र जारी करने पर निर्णय	15 दिवस	15 दिवस	15 दिवस
			(v) संशोधित प्रमाण– पत्र जारी करने पर निर्णय	30 दिवस	15 दिवस	15 दिवस
			(vi) संशोधित अंक–पत्र जारी करने पर निर्णय	30 दिवस	15 दिवस	15 दिवस
			(vii) निरस्त परीक्षाफल का निस्तारण करने पर निर्णय	45 दिवस	30 दिवस	15 दिवस
			(viii) रोके गये (Witheld) परीक्षाफल पर निर्णय	45 दिवस	30 दिवस	15 दिवस
			(ix) अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण परीक्षाफल को ठीक करने पर निर्णय	45 दिवस	30 दिवस	15 दिवस
12.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	8	(i) मेडिको–लीगल सर्टिफिकेट(इंजरी) पर निर्णय	03 दिवस	07 दिवस	07 दिवस
			(ii) डेथ सर्टिफिकेट फार पीपल टाइंग इन दा हास्पिटल पर निर्णय	01 दिवस	07 दिवस	07 दिवस

			अभिलेख भेजे जाने पर निर्णय			
			(2) सत्यापन के उपरान्त समस्त अभिलेख प्राप्त होने के बाद पंजीकरण/नवीनीकरण (पंजीकरण नियमावली 1982 के अनुसार) किये जाने पर निर्णय	15 दिवस	15 दिवस	15 दिवस
16.	बांट–माप विभाग	6	(i) बाट–माप तौलने मापने के उपकरणों के निर्माण करने हेतु विनिर्माता अनुज्ञा–पत्र निर्गत किये जाने पर निर्णय	45 दिवस	30 दिवस	30 दिवस
			(ii) बाट–माप तौलने मापने के उपकरणों के विक्रय करने हेतु व्यवहारी अनुज्ञा–पत्र निर्गत किये जाने पर निर्णय	30 दिवस	30 दिवस	30 दिवस
			(iii) बाट–माप तौलने मापने के मरम्मत हेतु मरंम्मतकर्ता अनुज्ञा– पत्र जारी किये जाने पर निर्णय	30 दिवस	30 दिवस	30 दिवस
			(iv) बाट–माप तौलने मापने के उपकरणों के विनिर्माता अनुज्ञा–पत्र का नवीनीकरण किये जाने पर निर्णय	30 दिवस	15 दिवस	15 दिवस
			(v) बाट–माप तौलने मापने के उपकरणों के व्यवहारी अनुज्ञा–पत्र का नवीनीकरण किये जाने पर निर्णय	15 दिवस	15 दिवस	15 दिवस
			(vi) बाट–माप तौलने मापने के मरम्मतकर्ता अनुज्ञा–पत्र का नवीनीकरण किये जाने पर निर्णय	15 दिवस	15 दिवस	15 दिवस
17.	समाज कल्याण विभाग	5	(i) वृद्धावस्था पेंशन पर निर्णय	30 दिवस	30 दिवस	30 दिवस
			(ii) पारिवारिक लाभ योजना पर निर्णय	30 दिवस	30 दिवस	30 दिवस
			(iii) अनु0जाति0/अनु0जन जाति के उत्पीड़न की सूचना पर निर्णय	30 दिवस	15 दिवस	15 दिवस
			(iv) अनु0जाति0/अनु0जन जाति की छात्रवृत्ति की	30 दिवस	30 दिवस	30 दिवस

			जाने पर निर्णय			
			(iv) मृदा परीक्षण का परिणाम देने पर निर्णय	45 दिवस	30 दिवस	15 दिवस
21.	प्राविधिक शिक्षा	5	(i) सरकार से सहायता प्राप्त पालीटेक्निक संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को देय पेंशन/ग्रेच्युटी व अन्य देयों के भुगतान पर निर्णय	60 दिवस	30 दिवस	30 दिवस
			(ii) सरकार से सहायता प्राप्त पालीटेक्निक संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को देय सामान्य भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान पर निर्णय	30 दिवस	30 दिवस	15 दिवस
			(iii) पालीटेक्निक संस्थाओं के अध्ययनरत अन्तिम वर्ष में उत्तीर्ण छात्रों को डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने पर निर्णय	90 दिवस	30 दिवस	15 दिवस
			(iv) छात्रों की काशन मनी/सिक्योरिटी मनी वापस किये जाने पर निर्णय	30 दिवस	30 दिवस	15 दिवस
			(v) छात्रों के बैक पेपर तथा स्कूटनी के परिणाम की घोषणा पर निर्णय	60 दिवस	30 दिवस	15 दिवस
22.	ग्राम्य विकास विभाग	1	1. अकुशल मजदूरों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराये जाने पर निर्णय	15 दिवस	07 दिवस	07 दिवस
23.	दुग्ध विकास विभाग	1	दुग्ध समितियों के रजिस्ट्रेशन पर निर्णय	90 दिवस	30 दिवस	15 दिवस
24.	उद्यान विभाग	5	(i) उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम 1976 के अधीन निजी क्षेत्रों में स्थापित फल पौधशालाओं के पंजीकरण पर निर्णय	45 दिवस	15 दिवस	15 दिवस
			(ii) पंजीकृत किये गये पौधशालाओं के नवीनीकरण	25 दिवस	25 दिवस	15 दिवस

			उपरांत अंक पत्र दिये जाने पर निर्णय।			
			(iii) नये महाविद्यालयों को खोलने के संबंध में अनापत्ति जारी करने के पूर्व जिला प्रशासन की आख्या प्रेषित करने पर निर्णय	30 दिवस	30 दिवस	15 दिवस
			(iv) विद्यार्थियों को राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रमाण–पत्रों के वितरण पर निर्णय।	30 दिवस	15 दिवस	15 दिवस
29.	<u>वाणिज्य कर विभाग</u>	07	(i) पंजीयन प्रमाण–पत्र की डुप्लीकेट प्रति जारी किये जाने पर निर्णय	15 दिवस	15 दिवस	15 दिवस
			(ii) पंजीयन प्रमाण–पत्र के संशोधन किये जाने पर निर्णय	30 दिवस	15 दिवस	15 दिवस
			(iii) वैट नियमावली / प्रवेशकर नियमावली / केन्द्रीय विक्रीकर नियमावली में निर्धारित फार्मों को जारी किये जाने पर निर्णय	07 दिवस	07 दिवस	07 दिवस
			(iv) अदेयता प्रमाण–पत्रों के जारी किये जाने पर निर्णय	07 दिवस	07 दिवस	07 दिवस
			(v) पंजीयन प्रार्थना–पत्र के निस्तारण पर निर्णय	30 दिवस	30 दिवस	30 दिवस
			(vi) निर्यातकों के प्रोविजनल रिफण्ड के प्रार्थना–पत्र के निस्तारण पर निर्णय	30 दिवस	30 दिवस	15 दिवस
			(vii) कर निर्धारण आदेश / अपीलीय आदेश से सृजित रिफण्ड के निस्तारण पर निर्णय	30 दिवस	30 दिवस	15 दिवस
30.	<u>मनोरंजन कर विभाग</u>	07	(i) उ0प्र0 चलचित्र नियमावली, 1951 के नियम 3 के अंतर्गत प्रस्तावित सिनेमा स्थल के अनुमोदन / सिनेमा भवन के निर्माण की अनुमति पर निर्णय।	90 दिवस	30 दिवस	30 दिवस
			(ii) उ0प्र0 चलचित्र नियमावली, 1951 के नियम 9 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान	45 दिवस	30 दिवस	30 दिवस

			की जांच/संस्तुति पर निर्णय।			
			(v) पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य संबंधित अभिलेखों की प्रमाणित प्रति को उपलब्ध कराये जाने पर निर्णय।	05 दिवस	05 दिवस	05 दिवस
			(vi) 34 पुलिस एक्ट, मोटर वेहिकिल एक्ट के अंतर्गत चालान पर कम्पाउंडिंग पर निर्णय।	02 दिवस	02 दिवस	02 दिवस
			(vii) शांतिपूर्ण सार्वजनिक कार्यकम, सभा, जुलूस आदि के आयोजन से संबंधित अनुशंसा/ अनुमति पर निर्णय।	01 दिवस	01 दिवस	01 दिवस
			(viii) पटाखों के लाइसेंस के लिए अनापत्ति/संस्तुति पर निर्णय :– (1) निर्माण के लिए	15 दिवस	05 दिवस	05 दिवस
			(2) स्टोरेज के लिए	15 दिवस	05 दिवस	05 दिवस
			(3) विकय के लिए	15 दिवस	05 दिवस	05 दिवस
			(4) अस्थाई विकय के लिए।	07 दिवस	03 दिवस	03 दिवस
			(ix) थाना स्तर पर प्राप्त आवेदन–पत्र की पावती एवं निस्तारण पर निर्णय।	07 दिवस	05 दिवस	05 दिवस
			(x) कारागार में चिकित्सीय जांच/उपचार तथा आर्थिक एवं शारीरिक शोषण के शिकायती–पत्रों के निस्तारण पर निर्णय।	01 दिवस	01 दिवस	01 दिवस
			(xi) कारागार में निरूद्ध की अवधि एवं सीखे गये कार्य के प्रमाण–पत्रों को दिये जाने पर निर्णय	07 दिवस	05 दिवस	05 दिवस
			(xii) अग्निशमन सेवाएं द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाने पर निर्णय–			
			(1) सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु।	02 दिवस	02 दिवस	02 दिवस

कोषागार निदेशालय, उ0प्र0,
1018–जवाहर भवन, लखनऊ

ई–मेलdirtry@up.nic.in
दूरभाष–0522–2286033,36,31,32,35
फैक्स–0522–2286034

स्पीड पोस्ट

पत्रांकः 1706/8(89)/2021/ज0हि0गार0/को0नि0/प्रावि0 दिनांक 02 अगस्त, 2022

सेवा में,
संयुक्त सचिव,
वित्त(सेवायें) अनुभाग–1,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

विशयः–उ0प्र0 जनहित गारन्टी अधिनियम–2011 का अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त(सेवायें) अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या एस0ई–187/दस–2022 दिनांक 26.07.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रमुख सचिव, लोक सेवा प्रबंधन अनुभाग,उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 1/190514/2022 दिनांक 15.07.2022 व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 06 जुलाई,2022 को हुई बैठक का कार्यवत्त संलग्न कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के संबंध में बिन्दुवार सूचना निम्नवत हैः–

1. उ0प्र0 जनहित गारन्टी अधिनियम–2011 के अंतर्गत शासन के पत्र दि0 27.11.2013 द्वारा अनुसूचि के अंतर्गत कम सं0 6 के अधीन सभी विभागों के लिये 10 सेवायें अधिसूचित हैं, वह सभी औचित्यवुर्ण है। इन दस सेवाओं के अतिरिक्त और कोई सेवायें जोड़
3ने योग्य नहीं पायी गयी। अतः सूचना शून्य है।

2.

कम सं	पद का नाम	नाम	फोन नम्बर	ई–मेल आईडी
1.	पदाभिहित अधिकारी	श्री अजमत अली, प्रशासनिक अधिकारी	8887726070	dirtry@up.nic.in
2.	प्रथम अपीलीय अधिकारी	श्री सतीश कुमार सिंह, उप निदेशक	8765923503	dirtry@up.nic.in
3.	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	श्री रामभवन सिंह,अपर निदेशक	8765923502	dirtry@up.nic.in
4.	समीक्षा अधिकारी	श्री आलोक कुमार अग्रवाल, निदेशक	8765923500	dirtry@up.nic.in
5.	नोडल अधिकारी	श्रीमती प्रतिमा मिश्रा, विशेष कार्याधिकारी।	8765923519	dirtry@up.nic.in

3.निर्देशानुसार एन0आई0सी0 द्वारा विकसित किये जा रहे एकीकृत सेवा पोर्टल पर विभागीय सूचनायें/विवरण यथासमय एवं ससमय अपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय,

(रामभवन सिंह)
अपर निदेशक।

O/C